



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928



शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-3307-औसं०/2018-11-ए०एस०/०४

दिनांक 08 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सेवानिवृत्ति तिथि को विदाई समारोह के आयोजन हेतु होने वाले व्यय की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती परिषदीय आदेश संख्या-585-डब्लू०सी०/रा०वि०प०/औसं-19 दिनांक 20.05.1988 एवं कारपोरेशन के आदेश संख्या-5026-औसं/17/पाकालि/०४ दिनांक 16.10.2004, संख्या-3252-औसं/2009-11-ए०एस०/०४ दिनांक 31.08.2009 एवं आदेश संख्या-3792-औसं/2009-11ए०एस०/०४ दिनांक 08.10.2009 के अनुक्रम में निदेशक मण्डल की दिनांक 19.07.2018 को हुई बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "विदाई समारोह" के आयोजनार्थ एक कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर रु० 4000/- (रुपये चार हजार मात्र) तथा एक से अधिक कार्मिकों हेतु विदाई समारोह आयोजित होने की दशा में प्रत्येक अतिरिक्त कार्मिक हेतु रु० 1500/- (रु० एक हजार पाँच सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-3307-औसं-17/पाकालि/18-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच सचिव-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
8. समस्त महाप्रबन्धक (औसं)/उपमहाप्रबन्धक (औसं)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

Naft Mathi कमश:2.... /

- आज्ञा से,

Naft Mathur
8.8.18

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी